COURT BOOK
EMPOWERING LEGAL CLARITY

# उत्तर प्रदेश श्रम कल्याण निधि अधिनियम, 1965[1]

## {उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 14, 1965}

उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने दिनांक 21 अप्रैल, 1965 ई. तथा उत्तर प्रदेश विधान सभा ने दिनांक 29 अप्रैल, 1965 ई. की बैठक में स्वीकृत किया।

''भारत का संविधान'' के अनुच्छेद 201 के अन्तर्गत राष्ट्रपति ने दिनांक 20 जुलाई, 1965 ई. को अनुमति प्रदान की तथा उत्तर प्रदेशीय सरकारी असाधारण गजट में दिनांक 26 जुलाई, 1965 ई. को प्रकाशित हुआ।

उत्तर प्रदेश में श्रम कल्याण की प्रोन्नति करने के लिये एक निधि की स्थापना करने तथा उसे व्यवहृत करने से सम्बद्ध विधि को संहत तथा संशोधित करने के लिये

## अधिनियम

भारतीय गणतंत्र के सोलहवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :–

## अध्याय 1

## प्रारम्भिक

1–– (1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश श्रम कल्याण निधि अधिनियम, 1965 कहलायेगा। संक्षिप्त शीर्षनाम, प्रसार तथा प्रारम्भ

(2) इसका प्रसार समस्त उत्तर प्रदेश में होगा।

(3) यह उस दिनांक[2] से प्रचलित होगा, जो राज्य सरकार गजट में विज्ञप्ति द्वारा तदर्थ निश्चित करे।

2–– विषय या प्रसंग में कोई बात प्रतिकूल न होने पर, इस अधिनियम में– परिभाषाएं

(1) ''परिषद्'' का तात्पर्य धारा 4 के अधीन संघटित उत्तर प्रदेश श्रम कल्याण परिषद् से है;

(2) ''कर्मचारी'' का तात्पर्य किसी ऐसे व्यक्ति से है, जो किसी अधिष्ठान में भाड़े या पारितोषिक पर, कोई कुशल या अकुशल, शारीरिक या लिपिक कार्य करने के लिए सेवायोजित हो और इसके अन्तर्गत ऐसा व्यक्ति भी है, जो पर्यवेक्षी कार्य करने के लिये सेवायोजित किया गया हो, यदि उसकी मजदूरी चार सौ रुपये प्रतिमाह से अधिक न हो;

(3) ''सेवायोजक'' का तात्पर्य किसी ऐसे व्यक्ति से है, जो या तो स्वयं अथवा किसी अन्य व्यक्ति के माध्यम से, या तो अपनी ओर से अथवा किसी अन्य व्यक्ति की ओर से, किसी अधिष्ठान में एक या अधिक कर्मचारियों को सेवायोजित करता हो और उनके अन्तर्गत निम्नलिखित भी हैं–

(क) किसी कारखाने में, फैक्ट्रीज ऐक्ट, 1948 की धारा 7 (1) (एफ) के अधीन प्रबन्धक कहलाने वाला कोई व्यक्ति, ऐक्ट संख्या 63, 1948

(ख) सरकार के प्राधिकार द्वारा अथवा इसके अधीन चलाये जाने वाले किसी अधिष्ठान में, कर्मचारियों के पर्यवेक्षण तथा नियंत्रण के लिये नियुक्त व्यक्ति या प्राधिकारी, किन्तु यदि कोई व्यक्ति या प्राधिकारी इस प्रकार नियुक्त न किया गया हो, तो सम्बद्ध विभाग का अध्यक्ष,

(ग) किसी अन्य अधिष्ठान में कर्मचारियों के पर्यवेक्षण तथा नियंत्रण के लिए अथवा मजदूरी के भुगतान के लिए अधिष्ठान के स्वामी के प्रति उत्तरदायी कोई व्यक्ति,

---

1. उद्देश्य और कारणों के विवरण के लिये दिनांक 31 मार्च, 1965 ई. का सरकारी असाधारण गजट देखिये।
2. यह अधिनियम 15 नवम्बर, 1965 से विज्ञप्ति सं. 1908 (एल) (एल)/छत्तीस (डी)–26 (एल–एल) 65, दिनांक 10 नवम्बर, 1965 के अन्तर्गत सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में प्रभावी हुआ।

(4)''अधिष्ठान'' का तात्पर्य केन्द्रीय अथवा राज्य सरकार के अधिष्ठान (जो कारखाना न हो) से भिन्न, किसी कारखाने, किसी रोपस्थली अथवा किसी ऐसे अन्य अधिष्ठान से हे, जिनमें उससे सम्बद्ध अथवा उससे सहायक कोई व्यवसाय या व्यापार अथवा कोई कार्य किया जाता हो और जिसमें उतनी संख्या में, जो समय–समय पर नियत की जाये, व्यक्तियों को सेवायोजित किया जाता हो अथवा पिछले बारह महीने किसी कार्य–दिवस को सेवायोजित किया गया हो,

(5) ''कारखाने'' का तात्पर्य फैक्ट्रीज ऐक्ट, 1948 की धारा 2 (एम) में यथापरिभाषित से है, ऐक्ट संख्या 63, 1948

(6) ''निधि'' का तात्पर्य धारा 3 के अधीन स्थापित उत्तर प्रदेश श्रम कल्याण निधि से है,

(7) ''निरीक्षक'' का तात्पर्य धारा 9 के अधीन नियुक्त निरीक्षक से है,

(8) ''श्रम कल्याण आयुक्त'' का तात्पर्य धारा 8 के अधीन नियुक्त श्रम कल्याण आयुक्त से है,

(9) ''नियत'' का तात्पर्य इस अधिनियम के अधीन बनाये गये नियमों द्वारा नियत से है,

(10) ''विनियम'' तथा ''नियम'' का तात्पर्य इस अधिनियम के अधीन बनाये गये क्रमशः विनियमों तथा नियमों से है,

(11) ''राज्य सरकार'' का तात्पर्य उत्तर प्रदेश सरकार से है,

(12) ''अदत्त संचय'' का तात्पर्य ऐसी समस्त धनराशियों से है जो कर्मचारियों को देय हों, किन्तु जिनका भुगतान देय होने के दिनांक से {दो वर्ष}[1] की अवधि के भीतर इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के पूर्व अथवा पश्चात् उन्हें न किया गया हो, और इसके अन्तर्गत सेवायोजक द्वारा उनको देय मजदूरी, उपदान तथा गृह–भत्ता, यदि कोई हो, भी है, किन्तु इसके अन्तर्गत इम्प्लाइज प्राविडिन्ट फन्ड्स ऐक्ट, 1952 के अधीन स्थापित भविष्य निधि में सेवायोजक द्वारा दिये गये अंशदान की धनराशि यदि कोई हों, नहीं है, और

(13) ''मजदूरी'' का तात्पर्य धनराशि के रूप में अभिव्यक्त किये जाने योग्य ऐसे समस्त पारिश्रमिक से है, जो अभिव्यक्त या अन्तर्निहित संविदा अथवा सेवायोजन को शर्त पूरी की जाने की दशा में, किसी सेवायोजित व्यक्ति को उसके सेवायोजन के अथवा ऐसे सेवायोजन में दिये गये कार्य के संबंध में देय होगा, किन्तु इसके अन्तर्गत निम्नलिखित नहीं है :–

(क) (1) किसी आवास स्थान, रोशनी, जल–सम्भरण अथवा चिकित्सा सुविधाओं, या

(2) राज्य सरकार के सामान्य या विशेष आदेश द्वारा तदर्थ अपवर्जित किसी अन्य सुविधा या सेवा का मूल्य, या

(ख) किसी सेवायोजक द्वारा किसी पेंशन निधि या भविष्य निधि में अथवा सामाजिक–बीमा या किसी योजना के अन्तर्गत दिया गया कोई अंशदान, या

(ग) कोई यात्रा–भत्ता अथवा यात्रा संबंधी रियात, या

(घ) कोई धनराशि जो सेवायोजित व्यक्ति को उसके सेवायोजन के कारण उस पर हुए विशेष व्ययों को पूरा करने के लिये भुगतान की गयी हो, या

(ङ) सेवोन्मुक्ति पर देय कोई उपदान।

---

1. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 17 वर्ष 1978 की धारा 2 द्वारा प्रतिस्थापित।

COURT BOOK
EMPOWERING LEGAL CLARITY

## अध्याय 2

## निधि तथा परिषद् की स्थापना

उत्तर प्रदेश श्रम कल्याण निधि की स्थापना

3–– (1) इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के पश्चात् यथाशक्य शीघ्र राज्य सरकार एक निधि की स्थापना करेगी, जो उत्तर प्रदेश में कल्याण निधि कहलायेगी।

(2) निधि में निम्नलिखित होंगे :–

(क) कर्मचारियों से वसूल किये गये अथवा उनके द्वारा देय सभी अर्थ–दंड,

(ख) धारा 6 के अधीन निधि को संक्रमित अदत्त संचय,

(ग) उपधारा (3) के अधीन निधि को संक्रमित कोई धनराशि,

(घ) राज्य सरकार द्वारा निधि को दिया गया कोई अनुदान,

(ङ) किसी व्यक्ति द्वारा निधि में स्वेच्छा से दिया गया दान या अंशदान,

(च) धारा 14 के अधीन उधार ली गयी कोई धनराशि, और

(छ) कोई अन्य धनराशि, जो निधि को भुगतान की गयी हो अथवा भुगतान योग्य हो।

(3) यदि किसी अधिष्ठान के सेवायोजक द्वारा कर्मचारियों के कल्याण के लिए कोई धनराशि अलग रखी जाय अथवा कोई निधि स्थापित की जाय तो वह, सेवायोजक के अनुरोध पर और राज्य सरकार के अनुमोदन से, निधि को संक्रमित की जा सकती है।

(4) उपधारा (2) में निर्दिष्ट धनराशि ऐसे रीति से जमा की जायगी, जो नियत की जाय।

परिषद का संघटन, उसके सदस्यों का कार्यकाल और अर्हताएं

4–– (1) इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के पश्चात् यथाशक्य शीघ्र, राज्य सरकार, गजट में विज्ञप्ति द्वारा एक परिषद् की स्थापना करेगी, जो उत्तर प्रदेश श्रम कल्याण परिषद् कहलाएगी।

(2) परिषद् उपर्युक्त नाम से सतत् अनुक्रम तथा सामान्य मुद्रा वाली एक निगमित निकाय होगी, उसे चल तथा अचल दोनों प्रकार की सम्पत्तियों का अर्जन करने तथा बेचने का अधिकार होगा और वह उक्त नाम से वाद प्रस्तुत कर सकती है तथा उसके विरूद्ध वाद प्रस्तुत किया जा सकता है।

(3) परिषद् में निम्नलिखित होंगे :–

(क) एक अध्यक्ष, जो राज्य सरकार द्वारा नाम–निर्दिष्ट किया जायगा,

(ख) सेवायोजकों तथा कर्मचारियों के बराबर–बराबर संख्या में उतने प्रतिनिधि, जो नियत किए जायें और जो राज्य सरकार द्वारा ऐसी रीति से तथा ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए, जो नियत किये जायें नाम–निर्दिष्ट किए जायेंगे,

(ग) महिला सदस्यों को मिलाकर उतनी संख्या में, जो नियत की जायें, स्वतंत्र सदस्य, जो राज्य सरकार द्वारा नाम–निर्दिष्ट किए जायेंगे, और

(घ) परिषद् के पदेन सदस्य सचिव के रूप में कार्य करने के लिए श्रम कल्याण आयुक्त अथवा राज्य सरकार द्वारा नाम–निर्दिष्ट कोई अन्य अधिकारी।

(4) परिषद् के अध्यक्ष तथा उपधारा (3) के खण्ड (ख) या खण्ड (ग) के अधीन नाम—निर्दिष्ट किसी सदस्य का कार्यकाल तीन वर्ष के लिए होगा, जो गजट में नाम निर्देशन के विज्ञपित किए जाने के दिनांक से प्रारम्भ होगा :

प्रतिबन्ध यह है कि आकस्मिक रिक्ति की पूर्ति के लिए नाम—निर्दिष्ट सदस्य की पदावधि, उस सदस्य के शेष कार्य—काल के लिए होगी, जिसकी रिक्ति में वह नाम—निर्दिष्ट किया जाय।

(5) कोई सदस्य, राज्य सरकार को लिखित नोटिस देकर अपने पद से त्याग—पत्र दे सकता है, और उक्त त्याग—पत्र के स्वीकार हो जाने पर यह समझा जायगा कि उसने अपना पद रिक्त कर दिया है।

(6) परिषद् के सदस्यों को देय भत्ता, यदि कोई हो, वही होगा, जो नियत किया जाय।

{(7) परिषद् की किसी बैठक की गणपूर्ति परिषद् के तत्समय सदस्यों की कुल संख्या के पंचमांश से होगी :

प्रतिबन्ध यह है कि जब बैठक में गणपूर्ति के न होने पर किसी कार्यवाही को स्थगित करना आवश्यक हो जाय, तथा अध्यक्ष किसी अन्य दिनांक के लिए बैठक को स्थगित करेगा और गणपूर्ति न होने के कारण स्थगित की गई कार्यवाही का सम्पादन ऐसे दिनांक को, या बैठक के लिए किसी अनुवर्ती दिनांक के लिए अग्रत्तर स्थगित किए जाने की दशा में, उस अनुवर्ती दिनांक को किया जायगा, भले ही उपस्थित सदस्यों की संख्या में कोई कमी हो।}[1]

अनर्हताएं तथा निष्कासन

5—— (1) कोई भी व्यक्ति, परिषद के सदस्य के रूप में न तो नाम—निर्दिष्ट किया जायगा और न बना रहेगा, यदि वह—

(क) परिषद् का वैतनिक आधिकारिक हो; या

(ख) किसी समय दिवालिया निर्णीत किया गया हो; या

(ग) विकृत चित्त का हो; या

(घ) नैतिक पतन समन्वित किसी अपराध के लिए सिद्धदोष हुआ हो।

(2) राज्य सरकार किसी सदस्य को उनके पद से हटा सकती है —

(क) जिसमें उपधारा (1) में उल्लिखित कोई अनर्हता हो अथवा हो गई हो; या

(ख) जो परिषद् की लगातार तीन से अधिक बैठकों में परिषद् की अनुमति के बना अनुपस्थित रहा हो; या

(ग) जो धारा (4) की उपधारा (3) के खण्ड (ख) के अधीन नाम—निर्दिष्ट सदस्य होने की दशा में, अपने नाम निर्देशन की शर्तों को अब पूरा न करता हो।

## अध्याय 3,

## अदत्त संचय और निधि की प्रयुक्ति

अदत्त संचय और उनके संबंध में दावा

6—— (1) तत्समय प्रचलित किसी अन्य विधि या किसी संविदा या संलेख में किसी बात के होते हुए भी, परिषद् को समस्त अदत्त संचयों का भुगतान किया जायगा, जो उसके लिए तब तक एक पृथक लेखा रखेगी जब तक कि उसके सम्बन्ध में दावों का इस धारा के अनुवर्ती उपबन्धों के अधीन निर्णय न हो जाय।

1. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 17 वर्ष 1978 की धारा 3 द्वारा प्रतिस्थापित।

(2) उपधारा (1) के अधीन परिषद् को भुगतान किए गए अदत्त संचय से सेवायोजक, उसके सम्बन्ध में केवल उतनी धनराशि की सीमा तक जितनी धनराशि का भुगतान इस प्रकार परिषद् को किया जाय, दायित्व से उन्मुक्त हो जायगा और कर्मचारियों या उनके विधिक प्रतिनिधियों को उपर्युक्त सीमा तक भुगतान करने का दायित्व इस धारा के अनुवर्ती उपबन्धों के अधीन रहते हुए परिषद् को संक्रमित किया गया समझा जायगा।

(3) उपधारा (1) के अधीन परिषद को किन्हीं अदत्त संचयों का भुगतान होने के पश्चात् यथाशक्य शीघ्र परिषद नोटिस द्वारा, जिसमें नियत रीति से सभी ब्योरे होंगे और जो उपधारा (4) में निर्धारित रीति से प्रकाशित किया जायगा और जो, यथास्थिति, कर्मचारिवर्ग या उनके विधिक प्रतिनिधियों से कोई ऐसा भुगतान करने के लिए दावे आमन्त्रित करेगी, जो परिषद् को इस प्रकार भुगतान किए गए अदत्त संचय में से उनको देय हो।

{(4) परिषद को अदत्त संचय का भुगतान किए जाने के दिनांक से छः मास की अवधि में कम से कम तीन मास में एक बार, उपधारा (3) के अधीन नोटिस–

(क) उस अधिष्ठान के, जिसमें अदत्त संचय उपार्जित हुए हों, सूचना–पट्ट पर प्रदर्शित की जायगी;

(ख) कर्मचारी को उसके स्थाई पते पर रजिस्ट्रीकृत डाक द्वारा भेजी जायेगी, और

(ग) सम्बद्ध अधिष्ठान के ट्रेड यूनियन को, यदि कोई हो, दी जायगी, यदि कर्मचारी उसका सदस्य रहा।}[1]

(5) यदि यह प्रश्न उठे कि उपधारा (3) में उल्लिखित नोटिस, उपधारा (4) की अपेक्षानुसार प्रकाशित किया गया था अथवा नहीं तो परिषद् का यह प्रमाण–पत्र कि वह इस प्रकार प्रकाशित किया गया था, निश्चायक होगा।

(6) यदि ऐसी धनराशि के सम्बन्ध में {प्रथम नोटिस के दिनांक से एक वर्ष के भीतर}[2] अदत्त संचय की किसी धनराशि के सम्बन्ध में कोई दावा प्राप्त हो तो वह दावा परिषद् द्वारा पेमेन्ट आफ वेजेज ऐक्ट, 1936 की धारा 15 के अधीन नियुक्त प्राधिकारी को, जिसका क्षेत्राधिकार उस क्षेत्र पर हो, जिसमें अधिष्ठान स्थित हो, संक्रमित कर दिया जायगा और वह दावे की सुनवाई करेगा और उसे अवधारित करेगा। ऐक्ट संख्या 4, 1936

(7) उपधारा (6) के अधीन प्रस्तुत किसी दावे की सुनवाई करने वाले प्राधिकारी को वही अधिकार होंगे, जो निम्नलिखित विषयों के सम्बन्ध में किसी वाद पर विचार करते समय कोड आफ सिविल प्रोसीजर, 1908 के अधीन किसी दीवानी न्यायालय में निहित होते हों, अर्थात्– ऐक्ट संख्या 5, 1908

(क) किसी व्यक्ति को सम्मन जारी करना और उसे उपस्थित होने के लिए बाध्य करना और शपथ पर उसका ब्यान लेना,

(ख) लेख्य प्रकट करने और उन्हें प्रस्तुत करने की अपेक्षा करना, और

(ग) कोई अन्य विषय, जो नियत किए जायं।

(8) यदि उपर्युक्त प्राधिकारी का यह समाधान हो जाय कि अदत्त संचय में से किसी धनराशि के सम्बन्ध में दावा वैध है तो वह यह आदेश देगा कि ऐसी धनराशि का भुगतान परिषद् द्वारा ऐसे आदेश में उल्लिखित व्यक्ति या व्यक्तियों को कर दिया जाय और तदुपरान्त परिषद् तद्नुसार भुगतान करेगी। प्राधिकारी का निर्णय, उपधारा (9) के अन्तर्गत किसी अपील के, यदि कोई हो, निर्णय के अधीन रहते हुए, अन्तिम होगा।

---

1. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 17 वर्ष 1978 की धारा 4 (एक) द्वारा प्रतिस्थापित।
2. उपर्युक्त की धारा 4 (दो) द्वारा प्रतिस्थापित।

COURT BOOK
EMPOWERING LEGAL CLARITY

(9) यदि अदत्त संचय में से भुगतान करने का दावा अस्वीकार कर दिया जाय तो दावेदार को उस जिले के, जिसमें अधिष्ठान स्थित है, जिला न्यायाधीश के समक्ष अपील करने का अधिकार होगा। अपील प्राधिकारी के आदेश के दिनांक से 60 दिन के भीतर की जा सकेगी। ऐसी अपील पर जिला न्यायाधीश का निर्णय अन्तिम होगा।

(10) अदत्त संचय में से, जिसके सम्बन्ध में उपधारा (3) के अधीन दावे आमन्त्रित किए गए हों, वह धनराशि, जिसके लिए उपधारा (6) के अधीन निर्दिष्ट समय के भीतर कोई भी दावा न किया गया हो अथवा जिसके सम्बन्ध में उक्त रीति से प्रस्तुत दावों को अन्तिम रूप से अस्वीकार कर दिया गया हो परित्यक्त सम्पत्ति समझी जायगी और वह स्वामीहीनत्व के रूप में राज्य में निहित हो जायगी और उसे निधि में संक्रमित तथा उसका भाग समझा जायगा।

वे प्रयोजन, जिनके लिए निधि का प्रयोग किया जा सकेगा

7–– (1) इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए निधि, परिषद् में निहित और उसी के द्वारा धृत होगी तथा प्रयुक्त की जायगी।

(2) उपधारा (1) की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, परिषद् कर्मचारियों के लाभार्थ निम्नलिखित पर व्यय करने के लिए निधि की धनराशि का उपयोग सकती है; अर्थात्–

(क) सामुदायिक तथा सामाजिक शिक्षा केन्द्र, जिसके अन्तर्गत वाचनालय तथा पुस्तकालय भी है,

(ख) सार्वजनिक स्नान–गृह तथा धुलाई स्थल,

(ग) चिकित्सा सहायता तथा स्वास्थ्य लाभ–गृह,

(घ) महिलाओं तथा बालकों के लिए शैक्षिक सुविधाएं और प्रौढ़ शिक्षा,

(ङ) खेल–कूद,

(च) विहार, पर्यटन तथा अवकाश–गृह,

(छ) मनोरंजन तथा अन्य प्रकार के विनोद,

(ज) महिलाओं तथा बेरोजगार व्यक्तियों के लिए गृह उद्योग तथा सहायक धंधे,

(झ) परिषद् के सदस्यों के भत्त्रे तथा परिषद् के अधिकारियों और अन्य सेवकों के वेतन तथा भत्ते,

(ञ) ऋणदान, उपभोक्ता और बहुप्रयोजनीय सहकारी समितियों की स्थापना,

(ट) सामाजिक प्रकार के संगठित कार्य–कलाप,

(ठ) खाद्य–पदार्थों को तैयार तथा प्रक्रिया करने के लिए सुविधाएं,

(ड) आवास की सुविधाओं और उसके सुधार की व्यवस्था,

(ढ) ऐसे अन्य उद्देश्य, जिनसे परिषद् की राय में, श्रमिकों के रहन–सहन में सुधार हो ;

{(ण) धारा 6 की उपधारा (4) के अधीन नोटिस को तामील करने और सके प्रकाशन पर, ऐसे अधिकतम प्रतिशत तक, जिसे राज्य सरकार विज्ञप्ति द्वारा विनिर्दिष्ट करे :}[1]

प्रतिबन्ध यह है कि निधि का उपयोग किसी ऐसे कार्य में धन लगाने के लिए न किया जायगा, जिसे किसी सेवायोजन को तत्समय प्रचलित किसी विधि के अधीन कार्यान्वित करना अपेक्षित हो।

1. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 17 वर्ष 1978 की धारा 5 द्वारा प्रतिस्थापित।

(3) परिषद् राज्य सरकार के अनुमोदन से, किसी सेवायोजन, स्थानीय प्राधिकारी अथवा अन्य निकाय को श्रम कल्याण के किसी ऐसे कार्य की सहायता के निमित्त, जो राज्य सरकार द्वारा तदर्थ अनुमोदित हो, निधि में से अनुदान दे सकती है।

(4) यदि यह प्रश्न उठे कि कोई विशिष्ट व्यय निधि के नाम लिखने योग्य है अथवा नहीं तो वह मामला राज्य सरकार को अभिदिष्ट किया जायगा और राज्य सरकार का उस पर निर्णय अन्तिम होगा।

(5) परिषद् के लिए यह वैध होगा कि वह कर्मचारियों के कल्याण के लिए सेवायोजक द्वारा अलग रखी गई किसी धनराशि से अथवा उसके द्वारा स्थापित किसी निधि से वित्तपोषित किसी कार्य को, राज्य सरकार के अनुमोदन के अधीन रहते हुए, जारी रखे, यदि ऐसी धनराशि या निधि धारा 3 की उपधारा (3) के अधीन परिषद् को संक्रमित कर दी जाय।

अदत्त संचय से अग्रिम

{7–क–– परिषद्, राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन से, धारा 6 की उपधारा (4) के अधीन नोटिस के प्रकाशन पर कर्मचारियों का दावा आमंत्रित करने में होने वाले व्यय को चुकाने के प्रयोजनार्थ अदत्त संचय से, उसके पांच प्रतिशत से अनधिक की धनराशि का आहरण कर सकती है।}[1]

## अध्याय 4

## अधिकारियों तथा कर्मचारियों की नियुक्ति और अधिकार

श्रम कल्याण आयुक्त तथा अपर या उपश्रम कल्याण आयुक्त की नियुक्ति और अधिकार

8–– (1) श्रम कल्याण आयुक्त, परिषद का मुख्य कार्यकारी अधिकारी होगा और राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किया जायेगा।

(2) श्रम कल्याण आयुक्त यह सुनिश्चित करेगा कि इस अधिनियम तथा तद्धीन बनाए गए नियमों के उपबन्ध यथाविधि कार्यान्वित किए जाते हैं और इस प्रयोजन के लिए उसे इस अधिनियम तथा तद्धीन बनाए गए नियमों के उपबन्धों से सुसंगत, ऐसे आदेश जारी करने का अधिकार होगा, जिन्हें वह उचित समझे। इसके अन्तर्गत इस अधिनियम या तदधीन बनाए गए नियमों के अधीन परिषद् द्वारा लिए गए किसी निर्णय को कार्यान्वित करने के सम्बन्ध में कोई आदेश भी है।

(3) राज्य सरकार, श्रम विभाग के एक या अधिक अधिकारियों अथवा किसी अन्य व्यक्ति या किन्हीं अन्य व्यक्तियों को पदेन या पूर्णकालिक अपर या उप–श्रम कलयाण आयुक्त नियुक्त कर सकती है। ऐसे अपर या उप–श्रम कल्याण आयुक्त इस अधिनियम के अधीन ऐसे अधिकारों का प्रयोग तथा कृत्यों का सम्पादन करेंगे, जो परिषद, राज्य सरकार के अनुमोदन से, आदेश द्वारा निर्दिष्ट करे। परिषद् ऐसी स्थानीय सीमायें भी निर्धारित कर सकती है, जिनके भीतर ऐसा कोई अपर या उप–श्रम कल्याण आयुक्त इस प्रकार निर्दिष्ट अधिकारों का प्रयोग या कर्तव्यों का सम्पादन करेगा।

निरीक्षकों की नियुक्ति

9–– (1) राज्य सरकार, निधि में दिये गये अथवा देय धन के सम्बन्ध में अभिलेखों का निरीक्षण करने के लिये सम्पूर्ण राज्य अथवा उसके भीतर किसी निर्दिष्ट क्षेत्र या क्षेत्रों के लिये एक या अधिक निरीक्षक नियुक्त कर सकती है।

---

1. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 17 वर्ष 1978 की धारा 6 (एक) द्वारा प्रतिस्थापित।

COURT BOOK
EMPOWERING LEGAL CLARITY



(2) निरीक्षक —

(क) ऐसी सहायता के साथ यदि कोई हो, जो वह उचित समझें किसी उचित समय पर निरीक्षण के लिये किसी अधिष्ठान के किसी भू—गृहादि में प्रदेश कर सकता है; और

(ख) ऐसे अन्य अधिकारों का प्रयोग कर सकता है, जो नियत किये जायं।

अन्य अधिकारियों तथा कर्मचारियों की नियुक्ति

10—— ऐसे शर्तों के अधीन रहते हुए जो तदर्थ नियत की जायें, परिषद ऐसे अन्य अधिकारियों तथा कर्मचारियों की नियुक्त कर सकती है जिन्हें वह अपने कृत्यों का दक्षता से पालन करने के लिए आवश्यक समझें।

कर्मचारियों की सेवा की शर्तें

11—— परिषद् के अधिकारियों तथा कर्मचारियों की नियुक्ति की रीति और सेवा की शर्तें, जिसके अन्तर्गत वेतन—क्रम भी है —

(क) श्रम कल्याण आयुक्त, अपर या उप—श्रम कल्याण आयुक्तों और निरीक्षकों के सम्बन्ध में वही होगी, नियत की जाय; और

(ख) धारा 10 के अधीन नियुक्त अन्य अधिकारियों तथा कर्मचारियों के सम्बन्ध में वही होगी, जो विनियम द्वारा अवधारित की जायें।

## अध्याय 5

## निधि का प्रशासन और लेखे तथा लेखा परीक्षा

निधि का प्रशासन तथा प्रबन्ध

12—— निधि का प्रशासन तथा प्रशासन ऐसी रीति से किया जायेगा, जो नियत की जाय।

निधि का विनियोजन ऐक्ट सं. 2, 1882

13—— यदि निधि के धन को अधिनियम के प्रयोजनार्थ शीघ्र अपेक्षित न हो तो, परिषद् उसे इंडियन ट्रस्ट ऐक्ट, 1882 की धारा 20 के खण्ड से (डी) और (एफ) में निर्दिष्ट किन्हीं प्रतिभूतियों मे विनियोजित सकती है।

परिषद का ऋण लेने का अधिकार

14—— परिषद्, समय—समय पर, राज्य सरकार की पूर्व स्वीकृति से, और इस अधिनियम तथा तद्धीन, बनाये गये नियमों के उपबन्धों और ऐसी अन्य शर्तों के, जो राज्य सरकार द्वारा तदर्थ निश्चित की जाये, अधीन रहते हुए, इस अधिनियम के प्रयोजनार्थ कोई ऋण ले सकती है।

लेखे तथा लेखा परीक्षा

15—— (1) परिषद् निधि के सम्बन्ध में ऐसे लेखा बही तथा अन्य अभिलेखों को रखवायेगी, जो नियत किये जायं।

(2) परिषद् अपने वार्षिक लेखा बन्दी के पश्चात् यथाशक्य शीघ्र, लेखों का एक वार्षिक विवरण—पत्र ऐसे प्रपत्र में और ऐसे रीति से तैयार करेगी, जो नियत की जायं।

(3) निधि, किसी स्थानीय प्राधिकरण की स्थानीय निधि समझी जायगी और उसकी लेखा—परीक्षा, स्थानीय निधि लेखा—परीक्षक, उत्तर प्रदेश द्वारा की जायेगी। परिषद्, लेखा परीक्षा प्रतिवेदन और उस पर की गयी कार्यवाही की सूचना राज्य सरकार को देगी।

COURT BOOK
EMPOWERING LEGAL CLARITY



16—— राज्य सरकार, प्रत्येक वर्ष जून के महीने में अथवा तत्पश्चात् यथाशक्य शीघ्र पिछले वित्तीय वर्ष से सम्बद्ध परिषद् के लेखों का एक विवरण पत्र और उसके कार्यों का एक प्रतिवेदन गजट में प्रकाशित करेगी। *लेखों तथा व्यय का प्रकाशन*

## अध्याय 6

## विविध

17—— इस अधिनियम के अधीन निधि में देय कोई धनराशि, वसूली की किसी अन्य रीति पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, परिषद की ओर से मालगुजारी की बकाया के रूप में वसूल की जायगी। *निधि में देय धनराशियों की वसूली की रीति*

18—— (1) राज्य सरकार, समय—समय पर परिषद् को ऐसे निदेश जारी कर सकती है, जो उसकी राय में इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए आवश्यक या इष्टकर हों। *राज्य सरकार द्वारा परिषद को निर्देश*

(2) परिषद् का यह कर्तव्य होगा कि वह उपधारा (1) के अधीन राज्य सरकार से प्राप्त निदेशों का पालन करें।

19—— (1) यदि राज्य सरकार को यह समाधान हो जाय कि परिषद् ने इस अधिनियम द्वारा अथवा इसके अधीन आरोपित किसी कर्तव्य का पालन करने में चूक की है अथवा अपने अधिकारों का दुरुपयोग किया है, तो राज्य सरकार गजट में विज्ञप्ति द्वारा, परिषद का अतिक्रमण कर सकती है : *कतिपय दशाओं में परिषद का अतिक्रमण*

प्रतिबन्ध यह है कि परिषद् का अतिक्रमण विज्ञापित करने के पूर्व, राज्य सरकार, यह कारण बताने का कि क्यों न उसका अतिक्रमण कर दिया जाय, उसे उचित अवसर देगी और परिषद के स्पष्टीकरण तथा आपत्तियों पर, यदि कोई हो, विचार करेगी।

(2) अतिक्रमण हो जाने के पश्चात जब तक कि परिषद् नियत रीति से पुनः संगठित न हो जाय, इस अधिनियम के अधीन परिषद् के अधिकारों का प्रयोग, कर्तव्यों का पालन तथा कृत्यों का संपादन ऐसे अधिकारी अथवा अधिकारियों द्वारा किया जायगा, जो उक्त प्रयोजन के लिए राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किये जायं।

20—— परिषद् के सदस्य, श्रम कल्याण आयुक्त तथा परिषद् के अन्य सभी अधिकारी और सेवक, इंडियन पीनल कोड, 1860 की धारा 21 के अर्थ में लोक सेवक समझे जायेंगे। *परिषद के सदस्य श्रम कल्याण आयुक्त तथा परिषद के अन्य सभी अधिकारी तथा सेवक लोक सेवक होंगे ऐक्ट संख्या 45, 1960*

21—— कोई वाद, अभियोजन या विधिक कार्यवाही किसी व्यक्ति के विरुद्ध ऐसे कार्य के लिए नहीं की जा सकेगी, जो इस अधिनियम या किसी नियम अथवा तद्धीन दिये अथवा दिये गये समझे गये किसी आदेश के अधीन सद्भावना से किया गया हो अथवा किये जाने के लिए अभिप्रेत हो। *सद्भावना के कार्य करने वाले व्यक्तियों का संरक्षण*

22—— परिषद के किसी कार्य अथवा कार्यवाही पर केवल इस कारण से न तो आपत्ति की जायेगी और न वह अवैध समझी जायगी कि उसमें कोई रिक्ति थी अथवा उसके संगठन में कोई दोष था या बाद में यह पता चले कि कोई व्यक्ति अनधिकृत रूप से उसकी कार्यवाहियों में उपस्थित था, उसने मत दिया या अन्य प्रकार से भाग लिया था। *परिषद के कार्यों तथा कार्यवाहियों की वैधता*

COURT BOOK
EMPOWERING LEGAL CLARITY



23—— उत्तर प्रदेश में अपनी प्रवृत्ति के सम्बन्ध में, पेमेन्ट आफ वेजेज ऐक्ट, 1936 को धारा 8 की उपधारा (8) में स्पष्टीकरण के पूर्व निम्नलिखित प्रतिबन्धात्मक खण्ड बढ़ा दिया जायः—— अधिनियम संख्या 4, 1936

''प्रतिबन्ध यह है कि किसी ऐसे कारखाने अथवा अधिष्ठान की दशा में जिस पर उत्तर प्रदेश श्रम कल्याण निधि अधिनियम, 1965 लागू होता हो, ऐसी समस्त वसूलियां उक्त अधिनियम के अधीन स्थापित निधि में जमा की जायेंगी।''

राज्य सरकार अथवा प्राधिकृत अधिकारी का अभिलेख आदि मंगाने का अधिकार

24—— राज्य सरकार अथवा राज्य सरकार द्वारा तदर्थ प्राधिकृत कोई अधिकारी, परिषद् की कार्य प्रणाली का पर्यवेक्षण करने के लिए परिषद् के अभिलेखों को मंगा सकता है तथा उनका निरीक्षण कर सकता है और परिषद् को ऐसे आदेश दे सकता है, जो वह इष्टकर समझे।

नियम बनाने का अधिकार

25—— (1) राज्य सरकार, इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए गजट में विज्ञप्ति द्वारा और पूर्व प्रकाशन के शर्तो के अधीन रहते हुए नियम बना सकती है।

(2) विशेष रूप से और पूर्वोक्त अधिकार की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियमों में निम्नलिखित सभी विषयों अथवा किसी एक की व्यवस्था की जा सकती है, अर्थात्——

(क) धारा 3 की उपधारा (2) मे निर्दिष्ट धनराशियां जमा करने की रीति,

(ख) परिषद् में सेवायोजकों तथा कर्मचारियों के प्रतिनिधियों की संख्या और उनके नाम—निर्देशन की रीति तथा शर्तें,

(ग) परिषद् में स्वतंत्र परिषद् सदस्यों की, जिसके अन्तर्गत महिला सदस्य भी हैं, संख्या ,

(घ) परिषद् के सदस्यों को देय भत्ते,

(ङ) अदत्त संचय सम्बन्धी दावों की जांच में धारा 6 में उल्लिखित प्राधिकारी के अधिकारों से सम्बद्ध विषय,

(च) श्रम कल्याण आयुक्त, अपर श्रम कल्याण आयुक्त, उप—श्रम कल्याण आयुक्त और निरीक्षकों की नियुक्ति की शर्तें,

(छ) शर्तें, जिनके अधीन रहते हुए, परिषद् के अन्य अधिकारी तथा कर्मचारी नियुक्त किये जाये,

(ज) निधि का प्रबन्ध करने के लिए किये गये व्यय का भुगतान करने की प्रक्रिया,

(झ) निरीक्षकों के कर्तव्य तथा अधिकार,

(ञ) परिषद् के अधिकारों तथा कृत्यों का श्रम कल्याण आयुक्त, अपर या उप—श्रम कल्याण आयुक्त को प्रतिनिधान तथा ऐसी शर्तो और प्रतिबन्ध, जिनके अधीन रहते हुए, उनके द्वारा अधिकारों का प्रयोग या कृत्यों का सम्पादन किया जा सके,

(ट) इस अधिनियम के अधीन रखे जाने वाले रजिस्टर तथा अभिलेख,

(ठ) वार्षिक लेखा विवरण—पत्र और निधि से वित्तपोषित कार्यो के प्रतिवेदन का प्रकाशन,

(ड) कोई अन्य विषय, जिसे अधिनियम के अधीन नियत किया जाना हो अथवा नियत किया जाय।

COURT BOOK
EMPOWERING LEGAL CLARITY

(3) इस अधिनियम के अधीन बनाये गये समस्त नियम बनाये जाने के पश्चात् यथाशक्य शीघ्र राज्य विधान मण्डल के प्रत्येक सदन के समक्ष, जब उसका सत्र हो रहा हो, उसके एक सत्र में या एक से अधिक आनुक्रमिक सत्रों में कुल चौदह दिन की अवधि पर्यन्त रखे जायेंगे, और जब तक कि राज्य सरकार द्वारा कोई बाद का दिनांक निर्धारित न किया जाय, गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से ऐसे परिष्कारों या अभिशून्यनों के अधीन रहते हुए प्रभारी होंगे, जो विधान मण्डल के दोनों सदन करने के लिए सहमत हों, किन्तु इस प्रकार का कोई परिष्कार या अभिशून्यन सम्बद्ध नियमों में पहले की गयी किसी बात की वैधता पर प्रतिकूल प्रभाव न डालेगा।

26—— (1) परिषद्, राज्य सरकार की पूर्व स्वीकृति से, गजट में विज्ञप्ति द्वारा, इस अधिनियम तथा तद्धीन बनाये गये नियमों से संगत विनियम बना सकती है। विनियम

(2) विशेष रूप से और पूर्वोक्त अधिकार की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, परिषद् निम्नलिखित की व्यवस्था करने के लिए विनियम बना सकती है —

(क) परिषद् के कार्य संचालन से सम्बद्ध प्रक्रिया;

(ख) अदत्त संचयों के सम्बन्ध में दावे आमंत्रित करने के लिए नोटिस प्रकाशित करने की रीति;

(ग) श्रम कल्याण आयुक्त, अपर श्रम कल्याण आयुक्त, उप श्रम कल्याण आयुक्त तथा निरीक्षकों को छोड़कर, परिषद् के अन्य अधिकारियों तथा कर्मचारियों की नियुक्ति की रीति तथा शर्तें; और

(घ) कोई अन्य विषय, जिसकी व्यवस्था विनियम द्वारा की जानी हो अथवा की जा सकती हो।

27—— उत्तर प्रदेश श्रम कल्याण निधि अधिनियम, 1956 निरस्त किया जाता है। उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 37, 1956 का निरसन